विकास की रफ्तार भू-अर्जन और फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए खास कोषांग, पुलों के सुदृढ़ीकरण को ले दस विशेषज्ञ अभियंताओं के पद सृजित

अब मिशन पांच घंटे के लक्ष्य पर पथ निर्माण विभाग

राज्य के आर्थिक विकास में सुव्यवस्थित यातायात प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। सड़कों के विकास के बिना राज्य का विकास संभव नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क निर्माण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम किया। इसी का परिणाम है कि आज राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों तक सड़कों का संजाल है। इससे लोगों को काफी फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री ने एक समय यह लक्ष्य तय किया था कि सूबे के किसी भी कोने से पटना पहुंचने में अधिक से अधिक छह घंटे का समय लगे। यह लक्ष्य पूरा हो चुका है। अब इस समय को घटाकर पांच घंटे कर दिया गया है। पथ निर्माण विभाग अब मिशन पांच घंटे के लक्ष्य पर है। एक नजर पथ निर्माण विभाग की उपलब्धियों व क्रियाकलापों पर-

ये है उपलब्धि : 2006 से अब तक बिहार में 34,000 किलोमीटर से अधिक स्टेट हाइवे का निर्माण हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों मे 1.60 लाख किमी. सड़क का जाल बिछाने में सरकार कामयाब हुई है। मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत 4689 से भी ज्यादा बड़े पुल बनाए गए हैं। इस कारण सुदूर इलाकों में रहने वाले ग्रामीण अपने जिला मुख्यालय पर आसानी से पहुंचने लगे हैं।

रख-रखाव की पूरी व्यवस्था : सरकार ने सड़क बनवाकर उनके रख-रखाव की भी पूरी व्यवस्था की है। रोड मेंटेनेंस पॉलिसी को लागू किया गया है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था की गई है। पथ निर्माण विभाग की जन शिकायत निवारण प्रणाली के तहत वाट्सएप नंबर 9470001346 और पोर्टल के साथ टोल फ्री नंबर 1800-345-6235 शुरू किया गया है।

हर स्तर पर निरीक्षण : सड़कों के रख-रखाव के काम को और अधिक कारगर एवं इसके अनुश्रवण प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से हर स्तर पर निरीक्षण की व्यवस्था लागू की गई है सड़कों की आकस्मिक मरम्मत एवं नियमित रूप से निरीक्षण के लिए रोड एंबुलेंस क परिचालन किया जाता है। रोड एंबुलेंस के प्रत्येक दिन के मूवमेंट की ऑनलाइन टैकिंग एवं मॉनीटरिंग की जाती है।

संस्थागत व्यवस्थाएं

सड़क और पुल निर्माण क्षेत्र में अग्रणी बिहार ने यह तय किया है कि इनके निर्माण में आ रही सभी तरह की बाधाओं को खत्म किया जाए। इस बात को केंद्र में रख कई तरह की संस्थागत व्यवस्थाएं हाल के दिनों में हुई हैं। जमीन अधिग्रहण के लिए खास कोषांग बना है। सड़क और पुलों के निर्माण में अक्सर यह समस्या आती रहती है कि जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ या फिर फॉरेस्ट क्लीयरेंस की वजह से मामला अटक गया है। इस बात को ध्यान में रखकर एक खास कोषांग का गठन पथ निर्माण विभाग के अधीन किया गया है, जो इन मामलों को देखेगा।

केंद्र सरकार ने की है बीएसआरडीसी की सराहना

बिहार की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में गुणवत्ता के साथ त्वरित क्रियान्वयन को ले राज्य सरकार ने बिहार रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन (बीएसआरडीसी) का गठन किया हुआ है। बीएसआरडीसी के माध्यम से बिहार में एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित, पीपीपी मोड और ईपीसी मोड में चल रही योजनाओं का काम हो रहा है। केंद्र सरकार ने भी इसके कार्य-कलापों की सराहना की है। पुरानी व्यवस्था में प्रक्रियात्मक विलंब के चलते बिहार लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन किया गया है।

ज्योग्राफिकल इन्फॉरमेशन सिस्टम

बिहार की सड़कों का ज्योग्राफिकल इन्फारमेशन सिस्टम विकसित करने के लिए रोड इनवेंटरी तैयार करने का काम विश्व बैंक के सहयोग से कराया जा रहा है। यह अंतिम चरण में है। इसके तहत बिहार की सड़कों का पूर्ण तकनीकी डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। सड़कों पर सुरक्षित और सुगम आवागमन सुरक्षित के लिए डेडिकेटेड रोड सेफ्टी सेल कार्यरत है। अभियंताओं द्वारा ब्लैक स्पॉट, ब्लाइंड टर्निंग एवं एक्सीडेंट प्रोन जोन चिन्हित कर वहां सुधारात्मक उपाय किए गए हैं।